



जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।  
(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक ७२(A) /रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त—सह—  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अवर सचिव,  
झारखण्ड, राज्य खाद्य आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

दिनांक १०.०९.२०२०

विषय— नया राशन कार्ड निर्गत करने से संबंधित ऑनलाइन शिकायत के संबंध में।

प्रसंग— ऑनलाइन शिकायत संख्या— 04032020002

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिकायतकर्ता शांति लांग, ग्राम— रोवाली, पो०— सोनुवा, थाना— गुदडी, जिला— पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा नया राशन कार्ड निर्गत करने से संबंधित ऑनलाइन शिकायत से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक— 1185(बी) /आ० दिनांक 10.09.2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक— यथोक्त।

अपर उपायुक्त—सह—  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

१०/९/२०२०  
१०.९.२०२०



Sent to  
10.9.2020

जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।  
(आपूर्ति शाखा)  
(email [id-supplycba@gmail.com](mailto:id-supplycba@gmail.com))

पत्रांक..... 1185 (A) / 2/10  
दिनांक..... 10.09.2020

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी  
—सह—अपर उपायुक्त  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

विषयः— नया राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्डधारी का नाम सनती लांग, पति सहदेव लांग गांव रोवअउली प्रखण्ड गुदडी का राशन कार्ड संख्या 202007333631 को निर्गत कर दिया गया है।  
भवदीय को सूचनार्थ समर्पित।

अनु०—राशन कार्ड की छायाप्रति।


विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर्जन / समावेशन मानक के आलोक में पारिवारिक सूची				
Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202007333631				
क्र.	पूरा नाम	लिंग	उम्र	संबंध
1	सनती लांग	म.	25	स्वयं
कुल व्यक्तियों की संख्या : 1				
कार्डधारी का हस्ताक्षर :				
Help Line No :- 18003456598 IT SUPPORT BY NATIONAL INFORMATICS CENTRE ( NIC )				

## राशन कार्ड

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग



झारखण्ड मरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

अन्त्योदय अन्न योजना - पश्चिमी सिंधभूम

Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202007333631

कार्डधारी का नाम : सनती लांग



Ration Card No. / राशन कार्ड संख्या : 202007333631

1. Cardholder Name : SANATI LANG

2. कार्डधारी का नाम : सनती लांग

(वरिष्ठ महिला का नाम)  
(गृहस्थी का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होगी। यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हो तो पुरुष गृहस्थी का मुखिया होगा। जैसे ही 18 वर्ष महिला की उम्र होगी वह गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी।)

3. पिता / पति का नाम : सहदेव लांग

4. आवासीय पता :-

गाँव/वार्ड : रोपअउली

प्रखण्ड / नगर-पालिका : गुदरी

ज़िला का नाम : पश्चिमी सिंधभूम्

5. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम / पता :-

वितरक का नाम : जल्कु बरजो

वितरक का पता : ग्राम कुन्दावेड़ा

10-9-2020

निर्गत करने की तिथि

प्राधिकरण अधिकारी का हस्ताक्षर  
मिसा आपूर्ति पदाधिकारी  
प० सिंहभूम, चाईबासा

कार्डधारियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ

1. यह राशनकार्ड, कार्डधारी को जिजी रूप से दिया गया है। इसे कार्डधारी के अलावा कोई और द्यवहार में नहीं ला सकता है। कार्ड को सुरक्षित रखना कार्डधारी की जिम्मेदारी है।

2. प्राप्तिकृत उचित मूल्य के दुकान से राशन लेने के समय कार्ड में राशन की मात्रा अवश्य अंकित करा लें। अपने कार्ड को दुकान में किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिये।

3. किसी भी माह का राशन अगर उसी माह में नहीं प्राप्त किया जाये तो वह राशन अगले महीने में भी छिल सकता है।

4. उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना उपायकृत / उपविकास आयुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी / पण्डन पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को बेती जा सकती है।

5. इस कार्ड का निर्धारित मूल्य है। इसके द्वारा जाने या अन्य कारणों से दूसरे कार्ड की आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति निर्धारित राशि प्राप्त होने के उपरान्त, उचित जाँच के बाद अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती।

6. कार्डधारी अगर अपने निवास स्थान को बदलते हों तो इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी / ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को सुरंग दें और अपने नये निवास के वार्ड की दुकान में अपना कार्ड स्थानान्तरित करवा ले।

7. जब कार्डधारी का अपने राशनिंग शेत्र / अपने शेत्र के बाहर जाना निविद्यत हो जाय तब इस राशन कार्ड को सुरंग अनुमंडल पदाधिकारी / आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर एक प्रमाणपत्र ले लेना आवश्यक होगा अन्यथा अन्य स्थान में नया कार्ड नहीं बन सकेगा।